रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 6696/2019

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 18973/2017 से उत्पन्न)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर और अन्य - अपीलकर्ता (गण)

बनाम

नीतू हर्ष और अन्य - प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

ए. एस. बोपन्ना, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यहां अपीलकर्ता डीबी सीडब्ल्यूपी संख्या 692/2017 वाली रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 थे, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने विचार किया और उसका निपटान किया था। दिनांक 04.05.2017 के आदेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी गई थी और इसमें अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद के लिए निजी प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार करें और यदि वह अन्यथा पात्र है तो उक्त श्रेणी की योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करें। उच्च न्यायालय के कथित आदेश

और निर्देश पर यहां मुख्य रूप से इस तर्क को आक्षेपित किया गया है कि इसमें निजी प्रत्यर्थी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी के लिए विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन नहीं किया था, बल्कि एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था और योग्यता सूची के अनुसार वह नियुक्ति की हकदार नहीं थी क्योंकि सामान्य श्रेणी में मेधावी उम्मीदवार अधिक थे और नियुक्ति हो जाने के बाद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि इसमें अपीलार्थियों ने सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के 72 पदों पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। इनमें से दो पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए थे। यहां निजी प्रत्यर्थी ने उक्त अधिसूचना के जवाब में, अपनी श्रेणी को "सामान्य" के रूप में इंगित करते हुए आवेदन दायर किया था और दिव्यांग श्रेणी के तहत दावे के संकेत के लिए प्रदान किए गए कॉलम में "नहीं" का उल्लेख किया था। इसलिए, इसमें सभी प्रयोजनों के लिए निजी प्रत्यर्थी को एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना गया और तदनुसार प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। सफल घोषित होने पर वह मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में भी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में, दिव्यांग प्रमाण पत्र पर भरोसा किए बिना, उपस्थित हुई थी। परिणाम 15 नवम्बर, 2016 को घोषित किया गया था। उक्त सूची में सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की गई थी। याचिकाकर्ता ने 136 अंक प्राप्त किए थे और उसे क्रम संख्या 137 पर रखा गया था। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियों के विरुद्ध, आवेदकों में से एक जिसने 138 अंक प्राप्त किए थे, क्रम संख्या 57 पर था। इसके बाद निजी प्रत्यर्थी ने 28 नवंबर, 2016 को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें नेत्रहीन दिव्यांगों की श्रेणी के तहत उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने और नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर,

निजी प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे निजी प्रत्यर्थी ने पीड़ित होने का दावा करते हुए उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की।दिव्यांग श्रेणी के तहत विचार की मांग करते समय दावा किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी 80% दिव्यांग है जैसा कि सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2010 में दर्शाया गया है।

4. उच्च न्यायालय ने विवाद पर ध्यान देते हुए, हालांकि एक विस्तृत आदेश पारित किया था, मुख्य विचार यह प्रतीत होता है कि यद्यपि दो रिक्तियों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा गया था, क्रमांक 57 पर सुश्री रेणु मोटवानी नामक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर केवल एक रिक्ति भरी गयी है। इस संबंध में, हालांकि अभिलेख पर कोई निश्चित सामग्री नहीं है, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि वर्ष 2013 में इसी पद के लिए आयोजित पूर्व परीक्षा में निजी प्रत्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वह 80% दिव्यांग थी। उस दृष्टिकोण में, यद्यपि यह विवाद में नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी ने आवेदन में अपनी श्रेणी को सामान्य के रूप में इंगित किया था, उच्च न्यायालय का विचार था कि भले ही उम्मीदवार द्वारा गलती की गई थी, फिर भी उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए था और इस संबंध में यह देखा गया था कि दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात "पीडब्ल्यूडी अधिनियम" कहा गया है) के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। उस संबंध में, उक्त अधिनियम के तहत विचार से संबंधित कानून की स्थिति को ध्यान में रखा गया था और उसमें निहित प्रावधानों, किसी अन्य श्रेणी द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने के

लिए, को भी ध्यान में रखा गया था। इस पृष्ठभूमि में इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के कथन को लागू करने में क्या उच्च न्यायालय अपने दृष्टिकोण में न्यायोचित था, इस तथ्य के होते हुए भी कि वर्तमान में राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की पृष्ठभूमि में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित मुद्दा उसी को शासित करता है और रिक्ति को भरा जाता है। इसके अलावा, मुद्दा यह भी है कि क्या निर्देश उचित है जब आरक्षित श्रेणी के लाभ के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था ।

5. हमने सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पल्लव शिशोदिया, निजी प्रत्यर्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है और अपील पत्रों का अवलोकन किया है।

6. अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 12.03.2016 को जारी अधिसूचना, आरक्षण से संबंधित, जिसमें सिविल न्यायाधीश संवर्ग, 2016 की सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया और दिव्यांगजनों पर विचार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

पदों की कुल संख्या	**वर्ष**	**आरक्षित**			**विकलांग जन (दिव्यांग)**	
70	वर्तमान रिक्तियाँ	37 जिसमें से 11 पद महिलाओं के लिए	11 जिसमें से 3 पद महिलाओं के लिए	8 जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए	14 जिसमें से 4 पद महिलाओं के लिए	70 रिक्तियों में से 2 पद दिव्यांग जनों के लिए

		आरक्षित	आरक्षित	आरक्षित	आरक्षित	आरक्षित हैं
2	बैकलॉग	-	-	2 (बैकलॉग)	-	-

“3. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में:

क. राजस्थान दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपर्युक्त पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित दिखाए गए हैं, जो लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी (एल.डी. एंड सी.पी.) और दृष्टि बाधित आवेदकों के लिए आरक्षित हैं। उक्त आरक्षित पदों को निम्न दिव्यांगता वाले आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है।

लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी (एल.डी. व सी.पी.)

ओ.एल.- एक पैर से प्रभावित (दायाँ या बायाँ)

बी.एल.- दोनों पैर प्रभावित (गतिशीलता प्रतिबंधित नहीं होगी)

ओ.ए.- एक हाथ प्रभावित (दायाँ या बायाँ) दृष्टिबाधित (नेत्रहीन और कम दृष्टि)

बी- दृष्टिहीन (गतिशीलता प्रतिबंधित नहीं होगी)

एल.वी. - कम दृष्टि (गतिशीलता प्रतिबंधित नहीं होगी)

“5. महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन

पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली, 2010 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया एवं रीति के अनुसार भरा जायेगा।

6. आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु विवाहित महिला अभ्यर्थी को नाम, निवास स्थान एवं पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) प्रस्तुत करना होगा।"

"5. परीक्षा शुल्क:

आवेदक को अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

क. सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क, पिछड़ा वर्ग से क्रीमी लेयर / विशेष पिछड़ा वर्ग / अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए 250 / रुपये होगा।

ख. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के गैर-क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 150/- रुपये होगा।

ग. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और सभी पात्र दिव्यांग आवेदकों का परीक्षा शुल्क रु.50/- होगा।"

7. उपर्युक्त अधिसूचना के जवाब में, निजी प्रत्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया और कॉलम 2.4 - 'श्रेणी' में इसे "सामान्य" के रूप में इंगित किया गया, 23 कॉलम 3.1 के पृष्ठ 8 में - 'दिव्यांगजन' - इसे "नहीं" के रूप में इंगित किया गया। आगे घोषणा में यह कहा गया है कि निजी प्रत्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और उनका पालन करने से पहले अधिसूचना के नियमों और शर्तों, निर्देशों और संबंधित नियमों को ध्यान से पढ़ लिया है।

यह भी घोषित की जाती है कि दी गई सूचनाएं सत्य, पूर्ण और शुद्ध हैं। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कॉलम में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में 250/- रुपये की राशि के साथ-साथ 10/- रुपये के कमीशन शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कुल मिलाकर 260/- रुपये है। आवेदन क्रम में होने के क्रम में रोल नंबर 5046 प्रदान करते हुए प्रवेश पत्र तैयार किया गया था और श्रेणी को "सामान्य" के रूप में इंगित किया गया था। यह उक्त आधार पर है कि निजी प्रत्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ था। उसी के आधार पर 15.11.2016 को मेरिट के क्रम में सभी उम्मीदवारों के अंकों का विवरण प्रकाशित किया गया था। इसके बाद ही निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 28.11.2016 को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें उसने दावा किया कि वह 80% से अधिक नेत्रहीन है और मेडिकल बोर्ड ने दिनांक 05.07.2010 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया। अभ्यावेदन में आगे संकेत दिया गया है कि उसने अनजाने में आवेदन पत्र में शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी का उल्लेख नहीं किया था। उसने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष के दौरान वह दिव्यांगजनों की श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुई थी और इसलिए उसे अन्य रिक्त पद के विरुद्ध माना जाना चाहिए।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निजी प्रत्यर्थी ने आवेदन में दिव्यांगजनों की श्रेणी के कोटा के तहत दावा नहीं किया था और वर्तमान में किया गया दावा केवल इसलिए है क्योंकि केवल एक पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजन द्वारा भरा गया था और अन्य पद यदि कोई दावा होता तो नेत्रहीन के लिए होता और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी इस स्तर पर नेत्रहीनता का दावा कर रहा है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के अनुसार खाली सीट को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरना होगा और, ऐसी रिक्ति को आगामी वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उस

परिस्थिति में, यह तर्क दिया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से, दूसरी रिक्ति जो दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध थी, दृष्टिबाधित उम्मीदवार की अनुपस्थिति में सामान्य श्रेणी के एक अधिक मेधावी उम्मीदवार द्वारा भरी गई है, जो नियमों में निर्दिष्ट सामान्य प्रक्रिया है।

9. दूसरी ओर निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ दिया है, विशेष रूप से धारा 2 (बी) से (ई), (ओ), (पी), (टी) में निहित परिभाषाओं के साथ-साथ इसमें निहित धारा 18 से 32, 33 और 36 के लिए भी।

10. हालांकि, हम उक्त प्रावधानों के बारे में अधिक विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है कि संबंधित भर्ती अधिसूचना में दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था और न ही यह ऐसा मामला है जहां आरक्षण प्रदान न करने के आधार पर भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी गई हो। इसके अलावा निजी प्रत्यर्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों, **सचिव के माध्यम से भारत सरकार & अन्य बनाम रानी प्रकाश गुप्ता** (2010) 7 एससीसी 626; **भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड** (2013) 10 एससीसी 772, और **राजीव कुमार गुप्ता व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य** (2016) 13 एससीसी 153, जिनमें इस न्यायालय ने रिक्तियों के बैकलॉग से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया है, नियोक्ता ने पद की पहचान नहीं की है, संवर्ग क्षमता के अनुसार सरकार और सांविधिक निकायों पर डाली गई ड्यूटी और आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या, सहायक नहीं होगी क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले में रिट याचिका इस आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी कि वर्ष 2016 में जारी अधिसूचना में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, हालांकि निजी

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि पिछले वर्षों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और पिछले वर्ष की अधूरी रिक्तियों को भी आगे बढ़ाया जाना आवश्यक था, यह भी उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद नहीं था न ही निजी प्रत्यर्थी ने उक्त अधिसूचना, दिनांकित 12.03.2016, को उन आधारों पर चुनौती दी है जो खुद को दिव्यांगजनों की श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

11. हालांकि, मामले का एक पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना है, वह निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क के संबंध में है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश संधारणीय है क्योंकि रिक्ति को किसी अन्य श्रेणी द्वारा नहीं भरा जा सकता था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था और उस परिस्थिति में यदि पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, तो राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली, 2010 के संचालन नियम 10(4) में अपीलकर्ताओं की कार्रवाई संधारणीय नहीं होगी।इसलिए, निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में वर्ष 2016 के लिए चयन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक पद को अगली भर्ती के लिए आगे ले जाने के लिए खाली रखा जाना चाहिए था। उम्मीदवार की कमी के कारण और उस पृष्ठभूमि में पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36 को ध्यान में रखते हुए, अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ने के बजाय इसे उपलब्ध दिव्यांग जन द्वारा भरने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

12. मामले के इस पहलू की सराहना करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 36 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:

"जो रिक्तियाँ भरी नही गयी हैं को आगे बढ़ाया जावे

-जहां किसी भी भर्ती वर्ष में धारा 33 के तहत किसी भी रिक्ति को उपयुक्त दिव्यांग जन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, ऐसी रिक्ति उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाई जाएगी और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त दिव्यांग जन उपलब्ध नहीं है, इसे पहले तीन श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और जब उस वर्ष पद के लिए कोई दिव्यांग जन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता दिव्यांग जन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा।

बशर्ते कि यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से रिक्तियों को तीन श्रेणियों में अदला-बदली की जा सकती है।"

13. उस पृष्ठभूमि में जो ध्यान दिया जाना चाहिए वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 भी है जिसे अधिसूचना दिनांक 18.01.2010 के तहत बनाया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। अधिसूचना इस प्रकार हैः

"कार्मिक विभाग

(ए-जीआर. 2)

अधिसूचना

जयपुर, 18 जनवरी, 2010

जी. एस. आर. 81- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा से संबंधित पदों और शर्तों और अन्य मामलों में भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाता हैं, अर्थात्:

उक्त राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली में, नियम 10(4) निम्नानुसार है:

(1) x x x x x x

(2) x x x x x x

(3) x x x x x x

(4) दिव्यांगजनों के लिए पदों का आरक्षण जैसा कि राजस्थान दिव्यांग जन रोजगार नियमावली, 2000 में परिभाषित किया गया है, 3% श्रेणीवार होगा जो क्षैतिज होगा और केवल प्रारंभिक भर्ती के समय ही उपलब्ध होगा। किसी विशेष वर्ष में पात्र और उपयुक्त दिव्यांगजनों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बशर्ते कि सीधी भर्ती में इन सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।"

14. इसलिए बनाया गया नियम भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत है जो न्यायिक अधिकारियों के चयन से संबंधित है, जिसके लिए नियमों में मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। मामले के इस पहलू पर, **वी. सुरेंद्र मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य** (2019) 4 एससीसी 237 के मामले में अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय उचित होगा। उक्त मामले में, तमिलनाडु न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए चयन से संबंधित एक मामले में इस न्यायालय को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके तहत अधिसूचना में चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से 50% निर्धारित किया गया था। उम्मीदवार, जिसने कार्रवाई का विरोध किया था, के पास 70% दिव्यांगता का उल्लेख करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र था। चूंकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत 40 से 50 प्रतिशत की सीमा तक दिव्यांगता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए अधिसूचना के अनुसार दिव्यांगता पर प्रतिबंध को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसकी परिणति इस न्यायालय के समक्ष अपील में हुई। उस संदर्भ में इस मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया था कि क्या दिव्यांगता पर प्रतिबंध पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन है और क्या इसे अपास्त करना चाहिए।इस संदर्भ में तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007 की वैधता और पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की वैधता की जांच की गई और वह शक्ति जिसके तहत नियम 2007 (जो राजस्थान नियम, 2010 के समान है) को संविधान के प्रावधानों के तहत सशक्त बनाया जा रहा है, इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के संदर्भ में ध्यान दिया गया था। हालांकि उक्त निर्णय पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 36 के संबंध में नहीं है,

प्रथम दृष्टया जब यह देखा गया कि नियम 10(4) नियम, 2010 में निहित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया, तो लागू किया जा रहा नियम उचित होगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न तो अधिसूचना और न ही नियम को चुनौती दी गई थी।इसके संदर्भ में, अपीलकर्ताओं ने यह ध्यान में रखते हुए कि दिव्यांग के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति की मांग करने वाला कोई अन्य आवेदन/आवेदक नहीं है जिसे अन्य श्रेणी से अगले मेधावी अभ्यर्थी का चयन कर भरा गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में, जहां नियम को कोई चुनौती नहीं दी गई है, उस सीमा तक कार्रवाई न्यायोचित होगी।

15. इसके अलावा, हालांकि निजी प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि कॉलम 3.1 के सामने "नहीं" इंगित करने में गलती हुई थी- 'दिव्यांगजन', जो ध्यान देने योग्य है वह कॉलम 2.4 के सामने है- 'श्रेणी', इसे "सामान्य" बताया गया है। इसके अलावा सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क 250 रुपये है जबकि पात्र दिव्यांग आवेदक के लिए यह 50 रुपये निर्धारित है। निजी प्रत्यर्थी ने अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करने के अलावा 250/- रुपए की फीस का भुगतान किया है। इसके अलावा, हालांकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2010 पर वर्तमान में भरोसा किया जाता है, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इसे आवेदन के साथ संलग्न किया गया था या साक्षात्कार पूरा होने तक प्रस्तुत किया गया था।इस पहलू पर, यह तर्क देने के लिए कि निजी प्रत्यर्थी एक विपरीत दावा नहीं कर सकता है, इसमें अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम इसरार अहमद** (2005) 12 एससीसी 498 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह नीचे पैरा 5 में अभिनिर्धारित किया गया हैः

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।पहले प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने आरक्षण पाने के हकदार उम्मीदवार के रूप में चयन के लिए आवेदन नहीं किया है। उसने अपने आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। यह तथ्य कि उसने प्रारंभिक परीक्षा के लिये लाभ नहीं उठाया है, उसे आरक्षण पाने का हकदार नहीं मानने के लिए पर्याप्त है। उसने प्रारंभिक परीक्षा एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा के बाद के चरण में वह इस आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता कि वह केवल बाद के चरण में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रहा। चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की प्रकृति और स्थिति के साथ केवल समान व्यवहार किया जा सकता है और एक बार जब कोई उम्मीदवार उस श्रेणी का विकल्प चुन लेता है जिसके लिए वह हकदार है, तो वह बाद में स्थिति को नहीं बदल सकता है और नया दावा नहीं कर सकता है।खण्ड पीठ का यह मानना सही नहीं था कि एक उम्मीदवार के रूप में उसके पास भी योग्यता थी और बाद के चरण में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से वह आरक्षण की मांग करने का हकदार होगा।इसलिए, हम खण्ड पीठ के फैसले को रद्द करते हैं और अपील स्वीकार करते हैं। कोई लागत नहीं।

16. इसके अतिरिक्त, **रजिस्ट्रार जनरल, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह व अन्य** (2013) 12 एससीसी 364 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने ऐसे मामले में दावे को नामंजूर कर दिया है जहां आवेदन में आरक्षण की श्रेणी इंगित की गई थी

किंतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और सामान्य अभ्यर्थी को लागू फीस का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निजी प्रत्यर्थी के दावे में अंतर्निहित विरोधाभासों को भी इस तथ्य के अलावा संदर्भित किया है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत विचार के लिए दावा नहीं किया गया है।

17. इस संबंध में यह बताया गया है कि वर्तमान में जिस दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिनांकित 05.07.2010 पर भरोसा करने की मांग की जा रही है के अनुसार, स्थायी दिव्यांगता का विवरण हेमिप्लेगिया - गैर- कार्यात्मक हाथ के रूप में दिखाया गया है। इस पृष्ठभूमि में यह इंगित किया गया है कि हालांकि इसमें दिव्यांगता की प्रकृति बताई गई है, जो लोकोमोटर दिव्यांगता होगी, 28 नवम्बर, 2016 को विलंब से किए गए अभ्यावेदन में निजी प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि वह दृष्टिहीन है, 80 प्रतिशत से अधिक और संदर्भ उसी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का है जो दिनांक 05.07.2010 को दिया गया था। नि:संदेह निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हेमिप्लेजिया से संबंधित एक लेख का उल्लेख किया है जिसमें देखने में आने वाली कठिनाइयों का भी संदर्भ दिया गया है। विवाद की प्रकृति ही इंगित करेगी कि तत्काल तथ्यों में श्रेणी के तहत आवेदन में दावा किया जाना चाहिए था और दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था क्योंकि दिव्यांगता की प्रकृति एक ऐसा मामला था जिसे संबंधित भर्ती अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा, यदि चिकित्सीय परीक्षा की आवश्यकता हो।यदि हेमिप्लेजिया के परिणामस्वरूप दृष्टि हानि पर विचार किया जाना था, तो दृष्टिहीनता द्वारा दिव्यांगता का प्रतिशत भी प्रासंगिक होगा और उसे उचित स्तर पर निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

18. इसलिए, ऐसी परिस्थिति में जहां मुद्दा यह है कि क्या दावा की गई अक्षमता लोकोमोटर अक्षमता या दृष्टिहीनता है और यह स्वयं एक प्रश्न है

जिस पर बहस की जानी है, न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना संभव नहीं होगा और ऐसी परिस्थितियों में, एक विशेष तरीके से उस पर विचार करने का परमादेश भी उचित नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई मामला बनता है तो दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर अधिकार के रूप में प्रदान किए जाते हैं और सहानुभूतिपूर्ण विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, तात्कालिक तथ्यों में जब दावा नहीं किया गया था और बहस योग्य मुद्दे हैं, हालांकि हम निजी प्रत्यर्थी के कारण के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, किसी भी घटना में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश की प्रकृति को न्यायोचित नहीं माना जा सकता है यह और अधिक है, ऐसी परिस्थिति में जहां अपीलकर्ताओं ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के संदर्भ में कार्य किया था जब कोई अन्य दावा उपलब्ध नहीं था और अन्य श्रेणी से एक उम्मीदवार नियुक्त किया था और जब ऐसी नियुक्ति की गई हो, ऐसे अभ्यर्थी को इस समय परेशान करना भी न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए, पूर्व कथित कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2017 को पारित आदेश को अस्थिर पाते हैं और तदनुसार उसे रद्द कर दिया जाता है।

19. तद्नुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

न्यायाधीश (आर. भानुमति)

न्यायाधीश (ए. एस. बोपन्ना)

नई दिल्ली,

29 अगस्त, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।